वित्तीय स्वीकृति

संख्या-55/2015/भा0स0 107/52-3-15-बजट(16)/2015टी0सी0

प्रेषक,

मो0 शफ़कत कमाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

□□□ में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□ □

अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□-3, □□□□□ दिनांक 21 नवम्बर, 2015

विषयः- केन्द्र पु□□□□□□□□ □□□□□/□□□□ शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत □□□□ □□□□□ द्वारा स्वीकृत □□□□□□ अवमुक्त किये □□□□□□□□□ में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय □□□□ □□□□□ □□ पत्र □0-□□-8-43/2014-□□ 19 दिनांक 27.8.2015 □□संदर्भ में □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□कि □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत म□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय, □□□□ □□□□□ द्वारा 1446 मदरसों की □□□ □□सापेक्ष 1405 मदरसों में कार्यरत □ □□□□□ विषयों के शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2014-15 □□□□□□□ □□□□□ द्वितीय किश्त के रूप में रू0 13,28,04,000/- की □□□□□□ अवमुक्त की □□□ □□□

2. □□□□ वित्तीय वर्ष 2015-16 में विषयांकित योजनान्तर्गत केन्द्रांश □□ रूप में रू0 02,44,71,24,000/- □□ □□ व्ययक प्राविधान हैं। जिसके सापेक्ष □□□□ वित्तीय वर्ष में रू0 74,55,66,000/- की □□□□□□ अवमुक्त की □□ चुकी □□□□□ रू0 01,70,15,58,000/- की □□□□□□ □□□□□ □□ उक्त □□□□□ □□□□□□ □□ सापेक्ष □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय □□□□ □□□□□ द्वारा उपरोक्त □□□□□□□ द्वारा अवमुक्त की □□□ □□□□□□ रू0 13,28,04,000/- (रू0 □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ मात्र) निम्नं□कित शर्तो/प्रतिबन्धों के अ□□□ अवमुक्त □□ □□□□ निर्वतन पर □□□□□□□की श्री राज्यपाल □□□□□ सहर्ष स्□□□□ प्रदान □□□□□□:-

(1) राज्य □□□□□ द्वारा □□□□□□ □□ □□□/□□□□□ दिये □□□□□□□□□□□□□ शिक्षकों □□ विवरण विभागीय □□□□□□ □□ दिनांक 31.03.2016 □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□ सुनिश्चित किया □□□, ताकि □□□□ □□□□□ □□प्राप्त अनु□□□ □□□□□□□/□□□ □□ में □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□पारदर्शिता ब□□ □□□

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□ व्यय/□□□□ □□ □□□ में □□□□ □□□□ द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं□□□□-□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□राज्य □□□□ द्वारा निर्गत सु□□□ शासनादेशों □□अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति क□□□□□किया □□□□

(3) उक्त स्वीकृति □□ शर्त □□ □□□□ □□कि मदरसों □□अस्तित्व के□□□□ में पूरी □□□ □□ आश्वस्त हो□□□□□□ □□□ विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) □□शिक्षण कार्य □□□□□□□शिक्षकों के□अध्यापन की पुष्टि हो□□□□पश्चात ही □□□□□ □□□□ की □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□ कि लाभान्वित □□□□ □□□□ □□□□ द्वारा □□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत गा□□ □□□□ की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण □□□□ □□ यदि किसी मदरसें में □□□□□□□ □□□□ किया □□□, □□□ □□□□□□□ □□□□ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/□□□□ वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप □□पूर्णतया उत्तरदायी होंगे □□□ □□□□□ रूप □□□□□□ की □□□ □□□□□ की □□□□ □□□□□□□□ □□□□सुनिश्चित की □□□□

(4) □□□□ □□□अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का □□ व्यक्तिगत दायित्व हो□□ कि □□ स्वीकृत □□□□□ □□ दिशा-निर्देशो के□□□□□ □□□□□ सुनिश्चित करेगें। किसी □□ □□□ में अस्तित्वहीन मदर□□□□□ अस्तित्वहीन शिक्षक □□ □□□□□ वितरित न □□, वितरण □□□ सुनिश्चित किया □□□□ □□ वास्तव में उपस्थित □□ □□ मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित क□□□□ □□□ हों। वितरण पारदर्शी तरीके □□□□□ □□□ व्यय □□ पूर्ण □□□-□□□ □ □□□□□ सुरक्षित □□□□□□ दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का □□□□ प्रश्नगत य□□□□ की □□□□□ □□ □□□□ प्रमाण पत्र अविलम्ब □□□□ □□ पे्रषित किया □□□□, □□ □□□□□ व्यय नही □□ □□□□ उसकी जानकारी विवरण सहित □□□□ □□ उपलब्ध □□□□ □□□□

(5) योजनान्तर्गत कार्यरत □□□□□ विषयों के□शिक्षकों को प्रश्नगत □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□पूर्व □□ सुनिश्चित क□ □□□ □□□□ कि पूर्व में □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ शिक्षक □□ नही किया □□□ □□

(6) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□सापेक्ष □□□□ योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के □□□□ □□ ही □□□□□ किया □□□□□ किसी □□ □□□ में य□ □□□□□ किसी अन्य प्रयोजनार्थ व्यय नहीं की □□□□□

(7) □□ □□□□□ □□शिक्षकों को □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ किया □□□□ जिस □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ द्वारा स्वीकृत की □□□ □□

(8) स्वीकृत □□□□□ □□ □□□□□□□ प्रमाण पत्र □□ □□□ □□अन्दर □□□□ □□ उपलब्ध □□□□ □□□□

3- उक्त □□ □□□□□□ व्यय □□□वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□-व्ययक □□□□□□ संख्या-48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय □□□□□□/केन्द्र द्वारा प्□□□□□□ योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अर□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

मदरसों □□ आधुनिकीकरण (□□0100/□□0-□□0)-20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□□ □□□) □□□□□□ □□□□ □□□□□□

4- □□ □□□ वित्त विभाग □□ कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/□□-1-925/□□- 2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में प्रदत्त निर्देशों के □□□□ निर्गत किये □□ □□□□□

भवदीय,

(□□0 □□□□ □□□□)
विशेष □□□□

<u>संख्या-भा0स0 107/52-3-15 तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं□आवश्यक कार्यवाही हेतु□प्रेषित:-

1- संयुक्त □□□□□(□□0□□0) □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा □□□साक्षरता विभाग) □□□□ □□□□□ शास्त्री □□□ □□□ दिल्ली।
2- □□□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□□
3- □□□□□□□□□ (□□□ □□□हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□□
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठ □□□ थार्न हिल □□□ □□□□□□□□
5- कोषाधिकारी □□□□□ □□□ □□□□/वित्त एवं□ लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□ □0प्र0 □□□□□
6- □□□□ माध्यमिक शिक्षा एवं□□□□□□ शिक्षा विभाग □0प्र0 □□□□□
7- □□□□□ उर्दू/प्राच्य भाषायें/□□□□ शिक्षा विभाग □0प्र0 □□□□□
8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी □0प्र0 □□□□ □
9- रजिस्ट्रार उ0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□ □□□□ □
10- वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (3□□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□
11- कम्प्यूटर □□□□□ अल्पसंख्यक कल्याण □□0-3 □□ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□
12- गार्ड एवं□□□□

आज्ञा □□,

(□□□□ मुहीउद्दीन)
□□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in